न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0)एक्ट,सुलतानपुर।

उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(जे0ओ0 कोडः- UP 2397)

UPST010001392026

क्रिमिनल मिस0 संख्या-06/2026

इन्द्रावती देवी------बनाम------ ई0ओ0 अमित कुमार सिह आदि,

दिनांक-05.03.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) द0प्र0सं0 पर प्रार्थिनी के अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। प्रार्थनापत्र एवं थाने की आख्या का अवलोकन किया।

2. प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) द0प्र0सं0 में प्रार्थिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी इन्द्रावती देवी पत्नी छोटेलाल, निवासी मोहल्ला राजेन्द्र नगर थाना कादीपुर जनपद सुलतानपुर की निवासी है, जो अनुसूचित जाति की गरीब मजदूर महिला है। प्रार्थिनी का पैतृक मकान नगर पंचायत कादीपुर की आबादी की भूमि पर स्थित है जिस पर वह अपने परिवार सहित काबिज है। उक्त भूमि/मकान के संबंध में न्यायालय सिविल जज (अ0ख0) कादीपुर, सुलतानपुर में वाद विचाराधीन है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2003 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। इसके बावजूद दिनांक 10.10.2025 को नगर पंचायत कादीपुर के ई0ओ0 अमित कुमार सिंह व चेयरमैन आनन्द जायसवाल ने अपने ठेकेदार राजकुमार शर्मा तथा 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए प्रार्थिनी का मकान गिरवा दिया तथा उस स्थान पर पिलर व दीवार का निर्माण करवा दिया। विरोध करने पर प्रार्थिनी व उसके परिवार को जातिसूचक गालियां दी गयीं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार व छेड़खानी की गयी तथा शोर होने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना स्थानीय थाना पर दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई तब प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक को दिया, किन्तु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी तब यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

3. प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) द0प्र0सं0 प्रस्तुत होने के उपरान्त सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4. सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिनी ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत कादीपुर के ई0ओ0 अमित कुमार सिंह व चेयरमैन आनन्द जायसवाल ने ठेकेदार राजकुमार शर्मा व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए प्रार्थिनी का मकान गिरवा दिया और प्रार्थिनी के विरोध करने पर उसे जातिसूचक गालियां देने, अभद्र व्यवहार करने तथा जान से मारने की धमकी दी। उक्त आरोप प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृति के प्रतीत होते हैं।

5. रामबाबू गुप्ता व एक अन्य प्रति उ0प्र0 2001(43) ए0सी0सी0 में इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ तथा इस सम्बंध में सुखबासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2008(472)(डी0बी0) एवं नरेश कुमार बाल्मिकी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य 482 नं0 24984/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट को क्षेत्राधिकार है कि वह प्रार्थनापत्र स्वीकार कर एफ0आई0आर0 दर्ज करने का आदेश को अथवा परिवाद के रूप में मानकर अग्रिम कार्यवाही करें।

6. मोहम्मद युसुफ बनाम श्रीमती आफाकजहां व अन्य 2006(54) ए0सी0सी0 उच्चतम न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 156(3) द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर मामला परिवाद के रूप में अग्रसारित किया जा सकता है। श्रीमती मोना पवार बनाम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद 2011(74) ए0सी0सी0 216 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम है। उस स्थिति में मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था का परिशीलन करने और प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थिनी को घटना व अभियुक्त के नाम पता व अन्य सभी तथ्य ज्ञात है और प्रार्थिनी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नही है जिसकी विवेचना कराया जाना आवश्यक हो। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में मामला परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा-223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक-24.07.2026 को पेश हो। प्रार्थिनी सूची गवाहान प्रस्तुत करे।

ह0

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) ऐक्ट,
सुलतानपुर
(जे0ओ0 कोडः- UP 2397)

(स्टेनो सुधीर सिंह)